रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257671
CG-DL-E-03102024-257671

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 563]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946
No. 563]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग)
(केंद्रीय बॉयलर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2024

सा.का.नि.605(अ).—भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 में संशोधन के लिए बॉयलर अधिनियम, 1923 (1923 का 5) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रारूप विनियमों को, उक्त अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) में किए गए प्रावधान के अनुसार, इनसे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां अथवा सुझाव आमंत्रित करने के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन वाले राजपत्र को जनता को उपलब्ध कराए जाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उक्त प्रारूप विनियमों पर विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में, निर्धारित अवधि के भीतर, किसी भी व्यक्ति से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, ऊपर निर्धारित अवधि के भीतर सचिव, केन्द्रीय बॉयलर बोर्ड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग), कमरा नं. 126ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली - 110011 अथवा ई-मेल (sandeep.kumbhar7@gov.in) पर भेजे जा सकते हैं।

प्रारूप विनियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक और आरंभ--**(1) इन विनियमों को भारतीय बॉयलर (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाए।

(2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में अंतिम रूप से इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भारतीय बॉयलर विनियम, 1950 के विनियम 382 के उप-विनियम (क) में, चिह्नांकन हेतु अक्षरों सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची में 'तेलंगाना टीएस' की प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत: -

'तेलंगाना टीजी'।

[फा. सं. पी-30014/7/2024-बॉयलर]

संदीप सदानंद कुंभार, सचिव

टिप्पण:- प्रमुख विनियम सा.आ. संख्या 600 दिनांक 15 सितंबर, 1950 के जरिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और इनमें अंतिम संशोधन सा.का.नि. 375 दिनांक 20 मई, 2022 के जरिए किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department For Promotion Of Industry And Internal Trade)

(CENTRAL BOILERS BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th September, 2024

G.S.R.-605(E).—The following draft regulations to amend the Indian Boiler Regulations, 1950, which the Central Boilers Board proposes to make in exercise of the powers conferred by section 28 of the Boilers Act, 1923 (5 of 1923), is hereby published as required by sub-section (1) of section 31 of the said Act for inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of forty-five days from the date the Gazette containing the publication of this notification is made available to the public;

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft regulations within the period so specified will be considered by the Central Boilers Board;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Secretary, Central Boilers Board, Ministry of Commerce and Industry (Department for Promotion of Industry and Internal Trade), Room No. 126A, Udyog Bhawan, New Delhi- 110 011 or sent by email at Sandeep.kumbhar7@gov.in) within the period specified above.

DRAFT REGULATIONS

1. Short title and commencement.--(1) These regulations may be called the Indian Boiler (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Boiler Regulations, 1950, in regulation 382, in sub- regulation (a), in the list of States and Union territories with their distinguishing letters, for the entry "Telangana TS", the following entry shall be substituted, namely: -

"Telangana TG".

[F. No. P-30014/7/2024-Boiler]

SANDEEP SADANAND KUMBHAR Secy.

Note :- The principal regulations were published in the Gazette of India, *vide,* number S.O. 600, dated the 15th day of September, 1950 and last amended *vide* G.S.R.375(E), dated the 20th May, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

AMIT KUMAR JAISWAL
Digitally signed by AMIT KUMAR JAISWAL
Date: 2024.10.03 21:50:57 +05'30'